सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY

(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) **(Government of India : Ministry of Home Affairs)**

हैदराबाद : **Hyderabad– 500 052.**

Inter Office Note

Sub : **Notified Recruitment Rules for the post of Nursing Orderly -Reg**

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Nursing Orderly is enclosed herewith for uploading the same in the Academy website under "Recruitment Rules" column.

(Dr. K. Madhukar Shetty)
Deputy Director (Estt)

The Assistant Director (IT)
SVP NPA,Hyderabad.

No.11011/8/2016/Estt-Nursing Orderly Dated 20th Jan, 2018

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By Direct Recruitment

In case of recruitment by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'C 'Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of :—** (i) Deputy Director - Chairman (ii) Assistant Director – Member (iii) Administrative Officer - member	Not applicable.

[F. No. 23011/10/2017-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 452.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद अस्पताल–नर्सिंग अर्दली भर्ती नियम, 1987 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में नर्सिंग अर्दली के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद (नर्सिंग अर्दली) भर्ती नियम, 2017 है।

(ii) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद–संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**–पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि.**–भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**–वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित है, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
नर्सिंग अर्दली	08* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 2

चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1** : आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अन्य राज्यों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले, तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है) **टिप्पण 2**: रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक्यूलेशन या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो ; 2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों के वार्डों में परिचर के रूप में 2 वर्ष का कार्यानुभव । 3. क्षतिग्रस्त हुए व्यक्तियों को प्रथमोपचार देने का प्रारंभिक ज्ञान हो। **टिप्पणी** : अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	**प्रतिनियुक्ति** – केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी – (क) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में नियमित

			आधार पर सदृश पद धारण किया है और स्तंभ 8 के अधीन विहित की गई शैक्षिक अर्हताएं रखता हो। **टिप्पण 1** : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु) हैं तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह – 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :– 1. उप निदेशक – अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक – सदस्य 3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 23011/11/2017–पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 21st December, 2017

G.S.R. 452.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad Hospital/Nursing Orderlies Recruitment Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Nursing Orderly in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement**. —(1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad (Nursing Orderly) Recruitment Rules, 2017.

   (4) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters related thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the above said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax** —Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen, the Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non-Selection Post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nursing Orderlies	08* (2017) *Subject to variation dependent on work.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 2	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Between 18 to 27 years. (Relaxable for Government servants up to the age of forty years in the case of general candidates and up to forty five years of age in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1** : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates except those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram. Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island and the Union territory of Lakshadweep. **Note 2** : The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	(1) Matriculation or equivalent pass from recognised board; (2) Two years working experience as Attendant in the wards of Hospitals recognised by Government. (3) Elementary knowledge in First Aid to the injured. **Note** : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods-	In case of recruitment by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruitment	Deputation, failing which by direct recruitment.	**Deputation.**- officer of the Central Government, (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department and possessing the Educational Qualifications prescribed at column 8. **Note 1 :** Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organization/department shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)		(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :—		Not applicable.
1. Deputy Director	-Chairman	
2. Assistant Director	-Member; and	
3. Chief Medical Officer	-Member	

[F. No. 23011/11/2017-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2017

सा.का.नि. 453.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के कांस्टेबल (बैंड) भर्ती नियम, 1985 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में कांस्टेबल (बैंड) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

   (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, कांस्टेबल (बैंड) भर्ती नियम, 2017 है।
   (ii) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।